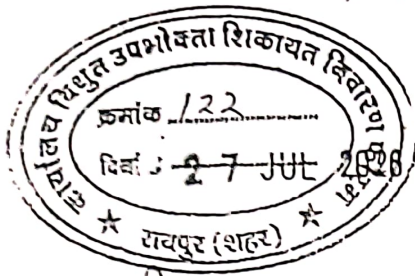


20/7

श्री माल अध्येक्ष बही ०००१



आपत्ति - वि. उ. वि. नि. फोरम
(स्टेट पॉ. वि. उ. लि.)

सी/5 वि. पत्रिका गुणवत्ता
रायपुर जिला रायपुर

भावार्थ - कुमलेश नेहरू आठ वर जो भाराद
सा. हरटोल मोहला - P/C

विषय = निम्न राइट मिल में सी. का से केचिते
बिल का निराकरण बाधित

महोदय

प्रकरण = यह है कि मेरे मिल में 61060 रु. का
बिल वि. वि. उ. में प्रेषित किया गया है
जो मेरे मिलर का काम लगभग 1 वर्ष
से काफी भावत कम हो गया था इसलिए
मेरे राइट मिल को बंद कर दिया गया है
परन्तु किछु स्वयं आकलन पर यह बिल
प्रेषित किया गया है। कल: अध्येक्ष महोदय
आ से अध्येक्ष हूँ कि आप आपत्ति
के निपटारे के लिए जांच कर उचित कार्यवाही
करने का कष्ट करेंगे।

Send to
CAF Rajnagar
18

TIP - Security fund Amount or security
deposit

अभिप्रेत

312501
1-याग मोहला
दिनांक 25/7/26

अभिप्रेत
कुमलेश कुमार

6260571984

कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड मोहला
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
छ.रा.वि.मंडल की उत्तरदायी कंपनी

रू./वर्क.अभि/ मोहला/उपभोक्ता.फ़ै./GENS-18/3770/2026-O/O (O&M)

मोहला दिनांक/20.08.2026

प्रति ,

माननीय अध्यक्ष,
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम राजनांदगांव।

विषय :- मेसर्स ओम साई मीनी राईस प्रो. कमलेश कुमार नेताम ,ग्राम हरटोला, बीपी. कं. 1005721577
प्रयोजन -औद्योगिक ,भार - 25 एच पी, टैरिफ - LV5125TR25, वितरण केन्द्र मोहला संचा./संघा. संभाग
मोहला के विद्युत कनेक्शन में त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक विवाद का निराकरण प्रतिवेदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है मेसर्स ओम साई मीनी राईस प्रो. कमलेश कुमार नेताम ,ग्राम
हरटोला, बीपी. कं. 1005721577 प्रयोजन -औद्योगिक ,भार - 25 एच पी, टैरिफ - LV5125TR25, वितरण
केन्द्र मोहला संचा./संघा. संभाग मोहला के विद्युत कनेक्शन में त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक विवाद का विवरण बिन्दुवार
निम्नानुसार है -

- (1) सं/सं. मोहला संभाग के अंतर्गत श्री कमलेश कुमार नेताम पिता षोभाराम नेताम ग्राम -हरटोला
,बीपीकमांक 1005721577 ,प्रयोजन -औद्योगिक ,भार - 25 एच पी, टैरिफ - LV5125TR25, वितरण
केन्द्र मोहला के औद्योगिक कनेक्शन उपभोक्ता है।
- (2) उपभोक्ता आवेदक कमलेश कुमार नेताम बीपी. कं. 1005721577, औद्योगिक विद्युत कनेक्शन में पूर्व
में सीटी मीटर कनेक्शन स्थापित था जिसका विवरण मेक SEMS, क्षमता -5/AMP सीरियल नंबर
409SEM001273 सीटी की क्षमता 100/5 AMP एवं गुणांक 20 था।
- (3) पैरा कं. 02 में उल्लेखित उपभोक्ता के यहाँ दिनांक 07.02.2026 को नामर्ल थी फेस स्मार्ट मीटर मेक
जीनस सीरियल नंबर G4072986 क्षमता 10-60A मीटर बदला गया। जिसका 1 गुणांक है और प्रारंभिक
रिडिंग 00 है। और पुराने मीटर का अंतिम रिडिंग 1070 था।
- (4) उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन में स्मार्ट मीटर लगाने के पश्चात गुणांक 01 के स्थान पर त्रुटिपूर्ण गुणांक
20 में बिलिंग होने के कारण माह फरवरी-2026 से जुलाई-2026 तक उपभोक्ता को 61061/- रुपये का
त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक जारी हुआ है।
- (5) उपभोक्ता के बिल, माह फरवरी-2026 से जुलाई-2026 तक रिवर्स कर बिल सुधार करने पर राशि
21900.0/- रु. का बिल जारी होना है। एवं राशि 38838.76/- रु. कम किया जाना है। गणना पत्रक संलग्न
है।
- (6) बिन्दु कं.04 में उल्लेखित त्रुटिपूर्ण जारी देयक 61061/- रुपये के संबंध में बिल सुधार की प्रक्रिया एवं
सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात उपभोक्ता को 21900/- रुपये विद्युत देयक जारी कर दिया गया है।
वास्तविक विद्युत देयक संलग्न है।

अतः उपभोक्ता कमलेश कुमार नेताम, ग्राम हरटोला, बीपी. कं. 1005721577 मे त्रुटिपूर्ण विद्युत
देयक सुधार कर उपभोक्ता को वास्तविक विद्युत देयक जारी कर वाद प्रकरण के निराकरण प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत
है।

Digitally signed by
Anil Kumar Ramteke
Date: 20-08-2026
19:53:04

कार्यपालन अभियंता (सं./सं.) संभाग
छ0स्टे0पॉ0डिस्ट्री0कं0लिमि0मोहला

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक / विउशिनिफोराज. / 2026 / 78

राजनांदगांव दिनांक 25/08/26

01. श्री कमलेश नेताम आ. स्व. शोभाराम,
ग्राम हर्राटोला, तहसील मोहला
जिला- मानपुर मोहला अ. चौकी (छ.ग.)
02. कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., मोहला।

विषय :- प्रकरण क्रमांक / 30 / 2026 पर पारित आदेश

—00—

विषयांतर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।




अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव

प्रतिलिपि :

अधीक्षण अभियंता (वृत्त), छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष ए.के. गौराहा)

प्रकरण क्रमांक / 30 / 2026

संस्थित दिनांक 27 / 07 / 2026

श्री कमलेश नेताम आ. स्व. शोभाराम,परिवादी
ग्राम हर्नाटोला, तहसील मोहला
जिला- मानपुर मोहला अ. चौकी (छ.ग.)

विरुद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग,उत्तरवादी
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., मोहला।

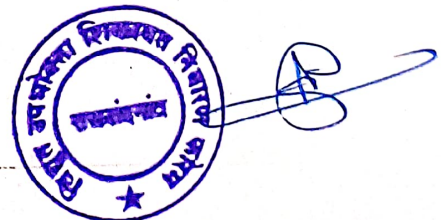
आदेश

(दिनांक 25 / 08 / 2026 को पारित)

परिवादी द्वारा संचालित 25 एच.पी. क्षमता की मिनी राईस मिल हेतु प्रदत्त औद्योगिक विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1005721577, के संबंध में यह शिकायत प्रस्तुत की गई है विगत एक वर्ष से मिल का संचालन कम होने के बावजूद अत्यधिक विद्युत बिल औसत आधार पर जारी किये जा रहे हैं। विभाग के समक्ष शिकायत करने पर भी समुचित निराकरण नहीं होने से असंतुष्ट होकर परिवादी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

1. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. परिवादी को मिनी राईस मिल के लिए 25 एच.पी. का औद्योगिक कनेक्शन उत्तरवादी द्वारा प्रदान की गई है।



ख. दिनांक 07.02.2026 को परिवादी के परिसर में पुराने सीटी मीटर के स्थान पर थ्री फेस का डायरेक्ट स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है।

2. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि -

परिवादी की मुख्य शिकायत यह है कि क्या उत्तरवादी द्वारा परिवादी को वास्तविक विद्युत खपत के स्थान पर त्रुटिपूर्ण बिल जारी किये गए तथा क्या उक्त त्रुटि का विधिवत निराकरण किया गया है।

3. प्रस्तुत शिकायत का उत्तरवादी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 594068 दिनांक 20.08.2026 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया है। वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि -

उत्तरवादी ने स्वीकार किया कि स्मार्ट मीटर लगाये जाने के उपरांत बिलिंग के समय गुणांक (एम.एफ) में त्रुटिवर्ष-1 के स्थान पर पुराने सीटी मीटर का गुणांक 20 लागू हो गया जिसके कारण फरवरी-2026 से जुलाई-2026 तक त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल जारी हुये। उत्तरवादी द्वारा उक्त त्रुटि सुधारते हुए फरवरी-2026 से जुलाई-2026 तक के समस्त बिलों का पुनः निर्धारण (Reverse Billing) किया गया तथा रु. 61061/- के स्थान पर संशोधित देयक राशि 21900/- निर्धारित की गई। परिवादी द्वारा भी उक्त संशोधन पर संतोष व्यक्त किया गया।

4. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं -

1. उत्तरवादी द्वारा परिवादी के परिसर में स्थापित औद्योगिक विद्युत कनेक्शन का विद्युत बिल स्थापित नये स्मार्ट मीटर के अनुसार किया गया था।



विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष -

5. अभिलेखों प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उत्तरवादी के उत्तर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवाद का मूल कारण बिलिंग प्रणाली में मीटर गुणांक संबंधित तकनीकी त्रुटि थी। उत्तरवादी द्वारा उक्त त्रुटि स्वीकार कर उसका पूर्ण सुधार कर दिया गया तथा वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी कर दिये गए हैं।

6. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है :-

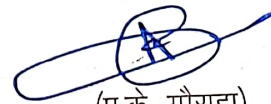
- I. कि उत्तरवादी द्वारा परिवादी की शिकायत का प्रभावी एवं स्थायी निराकरण कर दिया गया है परिवादी की शिकायत का निराकरण कर दिए जाने के बाद इस प्रकरण में अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है।
- II. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से असंतुष्ट हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.) के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर सकता है।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

आदेश पारित किया गया



(एन.के.साहू)
सदस्य

(ए.के. गौराहा)
अध्यक्ष